अधिसूचना सं0 18/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 23/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सं0 सा.का.नि. 266(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : --

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1क	सभी अध्याय	सभी माल	उस पर उद्ग्रहणीय उतना उत्पाद-शुल्क, जितना उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 94 के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर के समतुल्य उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क ।	-
1ख	सभी अध्याय	सभी माल	उस पर उद्ग्रहणीय उतना उत्पाद-शुल्क, जितना उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 139 के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के समतुल्य उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क ।	-" ।

[फा.सं0 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 23/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना सं. 266(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 05/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 156(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई ।